राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

वृद्धाश्रम योजना

आवदेन प्रपत्र

1 स्वयंसेवी संस्था का नाम .....

2 स्वयंसेवी संस्था का पूर्ण पता .....

3 स्वयंसेवी संस्था का दूरभाष न0.....

4 क्या संस्था भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम 21) के अन्तर्गत पंजीकृत है .....

5 यदि हॉ तो पंजीयन क्रमांक व दिनांक .....

6 क्या संस्था को वृद्ध कल्याण के क्षैत्र में पर्याप्त अनुभव है। हां/नही

7 यदि हां तो संस्था द्वारा वृद्ध कल्याण के क्षैत्र में किये गये कार्यो के विवरण संलग्न करें।

8 क्या संस्था अन्य गतिविधियां भी संचालित कर रही है। हॉ/ नही

9 यदि हां तो पूर्ण विवरण दें.....

.....

10क्या संस्था भारत सरकार/राज्य सरकार से किसी अन्य योजना में अनुदान प्राप्त कर रही है। हॉ/ नही

11यदि हां तो स्वीकृत अनुदान की वर्षवार राशि दें।

12क्या संस्था विदेशी अनुदान/ स्वदेशी अनुदान प्राप्त कर रही है। हां/नही

13यदि हो तो तीन वर्ष का विवरण दें।

14क्या संस्था के पास वृद्धाश्रम संचालन हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध है।

15यदि हां तो भवन का पूर्ण विवरण संलग्न करें।

वृद्धाश्रम संचालन हेतु प्राप्त प्रस्तावों से सम्बन्धित की चैक लिस्ट

1. संस्था के द्वारा आवेदन पत्र
2. संस्था का जिलाधिकारी द्वारा विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट मय अभिशंषा के
3. पंजीकरण प्रमाण पत्र
4. संस्था के रजिस्टर्ड कार्यालय का पूर्ण पता
5. संविधान विधान एवं नियमावली रजिस्ट्रार कार्यालय की प्रमाणित प्रति
6. वर्तमान कार्यकारिणी की रजिस्ट्रार सहकारी समिति से प्रमाणित प्रति
7. संस्था के उद्वेश्यों में वृद्धकल्याण का अंकित होना
8. वर्तमान कार्यकारिणी के द्वारा वृद्धाश्रम के लिये पारित प्रस्ताव
9. संस्था में कार्यरत स्टाफ का नाम, पता,शैक्षणिक योग्यता एवं श्रेणीवार विवरण।
10. संस्था में उपलब्ध अनावर्तक सामान का विवरण।
11. वृद्धाश्रम हेतु उपलब्ध अनावर्तक सामान का विवरण एवं उनकी स्थिति।
12. वृद्धाश्रम की देखरेख हेतु नियुक्त कर्मचारियों/स्टाफ का नाम, पता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं श्रेणीवार विवरण।
13. वृद्धाश्रम हेतु उपयोग में लिये जा रहे भवन में उपलब्ध कमरों, शौचालयों, स्नानघर, खुले स्थान, रसोईघर, आदि का माप सहित विस्तृत विवरण।
14. वृद्धाश्रम में चिकित्सा व्यवस्था एवं मनोरंजन आदि हेतु उपलब्ध सामग्री का विवरण।
15. वृद्धाश्रम भवन 25 आवासियों को स्वच्छ वातावरण में रखे जाने के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं?
16. वृद्धाश्रम संचालन हेतु भारत सरकार या अन्य कारपोरेट से प्राप्त सहायता राशि/अनुदान का विवरण।
17. वृद्धाश्रम में वर्तमान में आवासित वृद्धों की पूर्ण विवरण सहित सूची राशनकार्ड/आईडी प्रुफ (नाम, पता, आयु, स्त्री/पुरूष, बीपीएल/निराश्रित/उपेक्षित आदि श्रेणी)
18. गत तीन वर्षों के आडिट स्टेटमेन्ट/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट
19. संस्था द्वारा राज्य सरकार/भारत सरकार की अन्य योजनायें भी संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो इन योजनाओं हेतु प्राप्त अनुदान राशि का विवरण।
20. संस्था द्वारा 10/–के स्टाम्प पर नियमों/निर्देशों की पालना की प्रतिबद्धता
21. संस्था को किसी भी योजना में किसी भी निकाय/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट घोषित नहीं किया गया है, का शपथ पत्र।

राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

क्रमांकः एफ 13 ( ) ( )वृ.श्र./नियम/सकवि/2005/16648 जयपुर, दिनांक 31-3-2006

वृद्धाश्रम संचालन नियम : 2006

राजस्थान सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा गरीब/निराश्रित/सन्तानहीन/स्वयं के परिवार से प्रताड़ित वृद्ध व्यक्तियों की उचित देखभाल तथा उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करने के सम्बंध में निम्नानुसार वृद्धाश्रम संचालन नियम 2006 बनाती है।

1. **संक्षिप्त नाम व प्रभावित क्षेत्र :**

   1. ये नियम राजस्थान राज्य वृद्धाश्रम संचालन नियम 2006 कहलायेगें।
   2. ये नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होगें।
   3. ये नियम वर्ष 2006 से प्रभावी होगें।

2. परिभाषाएं :

क. **"राज्य सरकार"** से तात्पर्य राजस्थान सरकार के समाज कल्याण मंत्री से है।

ख. **"विभाग"** से तात्पर्य समाज कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार से है।

ग. **"शासन सचिव"** से तात्पर्य शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान से है।

घ. **"निदेशक"** से तात्पर्य निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान से है।

ड. **"जिला अधिकारी"** से तात्पर्य संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी से है।

च. **"प्रभारी अधिकारी"** प्रभारी अधिकारी से तात्पर्य मुख्यालय स्तर पर योजना की कार्यवाही देख रहे अधिकारी से है।

छ. **"वृद्ध"** से तात्पर्य 60 वर्ष या अधिक की आयु के पुरूष/महिला से है।

ज. **"गरीब"** से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका परिवार बहुत गरीब हो तथा वृद्ध व्यक्ति के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो।

झ. "स्वयंसेवी संस्था" से तात्पर्य उस संस्था से जो वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम का संचालन करती है तथा वृद्ध व्यक्तियों को सभी सुविधाऐं उपलब्ध कराती है।

ट. "वृद्धाश्रम" से तात्पर्य ऐसे वृद्ध गृह से है जिसमें वृद्ध व्यक्ति निवास करते है।

3. स्वयंसेवी संस्था का चयन :

(अ) वृद्धाश्रम का संचालन करने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं प्रस्ताव आमन्त्रित किये जायेगें तथा सक्षम स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। स्वयंसेवी संस्था को निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर को निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ठ 1) में आवेदन करना होगा। निदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्तावों की जांच जिलाधिकारी से करायेगा। जिलाधिकारी से अभिशंषा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त आदेश जारी किये जा सकेंगे।

(ब) स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन उपरान्त निदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा संस्था को वृद्धाश्रम के संचालन हेतु तत्काल अनावर्तक मद की राशि स्वीकृत की जायेगी। वृद्धाश्रम के प्रारम्भ करने की सूचना के उपरान्त जिलाधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्वयंसेवी संस्था को 6-6 माह बाद वर्ष में दो किश्तों का भुगतान किया जायेगा। प्रथम किश्त का भुगतान वित्तीय वर्ष के 3 माह की समाप्ति (जुलाई में) के उपरान्त किया जायेगा अर्थात् संस्था को 3 माह का अनुदान व 3 माह का अग्रिम अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। द्वितीय किश्त का अनुदान वित्तीय वर्ष की समाप्ति माह मार्च में किया जायेगा। स्वयंसेवी संस्था को अनुदान का भुगतान जिलाधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट सराहनीय रहने तथा उनके द्वारा अभिशंषा करने के उपरान्त जारी किया जावेगा।

4. वृद्धाश्रम के संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा निम्न प्रपत्र संलग्न किये जायेंगे:

1. वृद्धाश्रम संचालन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र।
2. वृद्धाश्रम संचालन हेतु निर्धारित बजट।

3. स्वयंसेवी संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं संविधान मय पंजीकरण संख्या।
4. स्वयंसेवी संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ होने का प्रमाण–पत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के स्वयं सेवी संगठनों के प्रकरणों में यह शर्त लागू नही होगी।
5. स्वयंसेवी संस्थाओ द्वारा प्रदत्त सेवायें बिना किसी जाति, धर्म एवं भाषा के भेदभाव के सभी को उपलब्ध कराई जायेगी।
6. स्वयंसेवी संस्था के पास सेवाश्रम/देखभाल केन्द्र चलाने हेतु प्राप्त भवन व स्टाफ तथा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हों।
7. प्रत्येक लाभार्थी का नाम मय पते की सूची तथा राशनकार्ड व फोटो सहित पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
8. स्वयंसेवी संस्था की कार्यकारिणी द्वारा वृद्धाश्रम संचालित करने का पारित प्रस्ताव।

5. **वृद्धाश्रम में प्रवेश हेतु पात्रता :**
   1. वृद्ध व्यक्ति राजस्थान राज्य का मूलनिवासी होना चाहिए।
   2. वृद्ध महिला/पुरूष की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक की हो।
   3. वृद्ध व्यक्ति निःसहाय एवं निराश्रित हो।
   4. वृद्ध व्यक्ति संतानहीन एवं स्वयं के परिवार से प्रताड़ित हो।
   5. वृद्ध व्यक्ति आजीविका चलाने में असमर्थ हो।
   6. वृद्ध व्यक्ति छूत या सक्रांमक रोग से पीड़ित नही हो।
   7. वृद्ध व्यक्ति पागल या विक्षिप्त नही हो।
   8. वृद्ध व्यक्ति भिखारी नही हो।

6. **वृद्धाश्रम संचालन की शर्ते :**
   1. प्रत्येक वृद्धाश्रम में 50 प्रतिशत वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति के होने अनिवार्य है।
   2. स्वयंसेवी संस्था को पहले 25 वृद्धों के रहने की स्वीकृति दी जायेगी, इसके बाद स्वयंसेवी संस्था की सेवा संतोषजनक होने पर वृद्धों की संख्या

2 वर्ष बाद विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होने पर 50 वृद्धों तक बढाई जा सकती है।

3. जिस स्वयंसेवी संस्था को 50 वृद्धों की स्वीकृति दी गई है अगर वहॉ 50 वृद्ध नही पाये जाते है तो उस वृद्धाश्रम की वृद्ध क्षमता वापस 25 करने का अधिकार निदेशक समाज कल्याण विभाग को होगा।
4. स्वयंसेवी संस्था के उद्देश्यों में वृद्ध कल्याण शामिल होना अनिवार्य है।
5. स्वयंसेवी संस्था को वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
6. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों द्वारा संचालित स्वयंसेवी संस्था को 1 वर्ष का अनुभव ही पर्याप्त होगा।
7. स्वयंसेवी संस्था द्वारा वृद्ध व्यक्तियों को वर्ष में एक बार किसी धार्मिक स्थल का भ्रमण कराया जायेगा।
8. स्वयंसेवी संस्था द्वारा वृद्ध व्यक्तियों को आवश्यकता होने पर राजकीय चिकित्सालय में ले जाकर उनकी जॉच कराई जायेगी तथा वृद्धों का निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की जायेगी।
9. स्वयंसेवी संस्था द्वारा वृद्ध व्यक्तियों को दॉत, चश्मा, बेंत आदि निःशुल्क उपलब्ध करवाई जायेंगी।
10. वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों की प्रतिमाह एक बैठक कराई जायेगी जिसमें उनकी समस्याओं पर विचार कर उनका निवारण किया जायेगा।
11. एक स्वयंसेवी संस्था को एक ही वृद्धाश्रम संचालित करने की अनुमति दी जायेगी।
12. यदि किसी कारण से स्वयंसेवी संस्था को चालू वित्तीय वर्ष में भुगतान नही किया जा सका हे तो उस स्वयंसेवी संस्था को अगले वर्ष के बजट प्रावधान में से बकाया राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
13. वृद्धाश्रम का संचालन जहॉ विद्यालय का संचालन किया जा रहा है उस स्थल पर नही किया जा सकेगा। यदि वृद्धाश्रम एवं विद्यालय एक ही

कैम्पस में संचालित किये जा रहें है तो ऐसे वृद्धाश्रम की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

7. **वृद्धाश्रम में दी जाने वाली सुविधाओं की सम्बंध में :**

1. प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति को **निःशुल्क** पंलग, बर्तन, बिस्तर व अन्य आवश्यक सामान स्वयंसेवी संस्था **द्वारा उपलब्ध** कराया जायेगा।
2. वृद्ध व्यक्ति को माह में 2 नहाने के साबुन व 2 कपड़ें धोने के साबुन उपलब्ध कराये जायेंगे। वृद्ध व्यक्ति अपने कपड़े स्वयं ही धोयेगा।
3. वृद्ध व्यक्ति को माह में 50 ग्राम का दन्तमंजन पाउडर दिया जायेगा।
4. वृद्ध व्यक्ति की दो माह में एक बार बाल कटिंग कराई जायेगी।
5. वृद्ध व्यक्ति की बैडसीट प्रत्येक 15 दिवस में स्वयंसेवी संस्था द्वारा धुलवाई जायेगी।

8. **वृद्धाश्रम में भोजन व मंनोरजन की उपलब्धता के सम्बंध में**

1. वृद्ध व्यक्तियों को प्रातः 8.00 बजे से 9.00 बजे की मध्य पोये/ब्रेड/बिस्किट/ भुने हुए चने एवं चाय का नाश्ता दिया जायेगा।
2. वृद्ध व्यक्तियों को दोपहर 12.00 बजे से 1.00 बजे के मध्य दोपहर का भोजन दिया जायेगा। जिसमें एक हरी सब्जी एवं चपातियाँ होगी।
3. वृद्ध व्यक्तियों को सायंकाल 4.00 बजे से 5.00 बजे के मध्य चाय दी जायेगी।
4. वृद्ध व्यक्तियों को रात्रिकालीन भोजन 8.00 बजे से 9.00 बजे के मध्य दिया जायेगा, जिसमें दाल, चपाती तथा कुछ सलाद दी जायेगी।
5. वृद्ध व्यक्तियों को प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को स्पेशल डाईट दी जायेगी। जिसमें खीर/हलुवा/स्थानीय व्यंजन को शामिल किया जायेगा।
6. वृद्ध व्यक्तियों के मंनोरजन के लिए वृद्धाश्रम में एक रंगीन टीवी, पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, संगीत के उपकरण, धार्मिक पुस्तकें आदि नियमित उपलब्ध रहेगी।

9. **वृद्धाश्रमों का निरीक्षण :**

1. जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक 3 माह में एक बार वृद्धाश्रम का निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

2. निदेशालय स्तर पर वृद्धाश्रम योजना के प्रभारी अधिकारी द्वारा वर्ष में एक बार प्रत्येक वृद्धाश्रम का निरीक्षण अवश्य किया जायेगा।
3. निदेशालय के निदेशक/अतिरिक्त निदेशक दौरे पर हो तो वृद्धाश्रम का निरीक्षण यथासम्भव अवश्य करें।
4. जिलाधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही स्वयंसेवी संस्था को अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

10. **वृद्धाश्रम पर संधारित किये जाने वाले रिकार्ड :**

1. वृद्धाश्रम में आवासी व्यक्तियों की उपस्थिति पंजिका।
2. वृद्धाश्रम के लिए क्रय किये गये सामान के लिए क्रय पंजिका, जिसमें क्रय की तिथि के अनुसार सामान का नाम, मूल्य, मात्रा व जिस दुकान से सामान क्रय किया गया है का नाम अंकित होंगे।
3. वृद्धाश्रम के लिए क्रय किये गये सामान को उपभोग के लिए आश्रम के सदस्यों को अर्पित करने की विवरण पंजिका, जिसमें जो उपभोग के लिए सामान/सामग्री आदि दिये गये है, उनका विवरण होगा।
4. भ्रमण पंजिका।
5. कैश–बुक।
6. स्टॉक रजिस्टर।
7. बैंक खाते की पास–बुक।
8. भोजन पंजिका।
9. नाश्ता पंजिका।
10. विभाग को भेजे जाने वाले मानचित्रों व पत्रों व विभाग से प्राप्त होने वाले पत्रों की पत्रावली।
11. स्वास्थ्य पंजिका, जिसमें चिकित्सक द्वारा वृद्धाश्रम के सदस्यों के स्वास्थ्य को चैक कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर औषधि उपलब्ध करवाये जाने से संबंधित विवरण होगा।
12. मनोरंजन आदि के लिए की गई व्यवस्थाओं की पंजिका।

11. **वृद्धाश्रम संचालन हेतु स्टाफ व्यवस्था :**

1. वृद्धाश्रम के संचालन हेतु एक मैनेजर की नियुक्ति की जायेगी जो वृद्धाश्रम को संचलित करेगा।
2. वृद्धाश्रम के संचालन हेतु एक लिपिक की नियुक्ति की जायेगी जो वृद्धाश्रम के रिकार्ड को संचलित करेगा।
3. वृद्धाश्रम के संचालन हेतु एक लेखाकार (अंशकालीन) की नियुक्ति की जायेगी जो वृद्धाश्रम के लेखें सम्बधी कार्य को संचलित करेगा।
4. वृद्धाश्रम के संचालन हेतु दो केयरटेकरों की नियुक्ति की जायेगी जो वृद्धाश्रम की उचित देखभाल करेगें।
5. वृद्धाश्रम के संचालन हेतु एक रसोइयां की नियुक्ति की जायेगी जो वृद्धाश्रम में रहने वाले आवासियों के लिए भोजन व नाश्ता बनायेगा।
6. वृद्धाश्रम के संचालन हेतु एक सफाईकर्मी की नियुक्ति की जायेगी जो वृद्धाश्रम की साफ–सफाई करेगा।

12. **स्वयंसेवी संस्था को अनुदान एवं बजट प्रावधान :**

1. वृद्धाश्रम संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्था को स्वीकृत बजट का 90 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा 10 प्रतिशत हिस्सा स्वयंसेवी संस्था का स्वयं का होगा।
2. वृद्धाश्रम संचालन हेतु स्वीकृत बजट परिशिष्ठ 2 के अनुसार होगा।
3. किसी भी मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्था का प्रथम बजट एवं प्रथम अनुदान स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जायेगा। उसके बाद निदेशक समाज कल्याण विभाग की बजट की कुल अधिकतम सीमा के अधीन स्वीकृति जारी कर बजट जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगा।
4. जिलाधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को वर्ष में दो बार अनुदान स्वीकृत करेगा।
5. स्वयंसेवी संस्था को प्रत्येक वर्ष स्वीकृत अनुदान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र व सनदी लेखाकार से बैलेन्स शीट प्रस्तुत करनी होगी।
6. सहायता अनुदान मात्र उन परियोजन हेतु देय होगा जिसकी मान्यता दी हुई है।

7. अनुदान प्राप्ति से पूर्व संस्था द्वारा एक प्रतिज्ञा पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पर भर कर दिया जायेगा कि संस्था के कार्य बन्द कर देने के कारण या राज्य सरकार द्वारा मान्यता समाप्त कर देने के पश्चात सरकार को पूर्ण रूप से बिना किसी शर्त के सम्पूर्ण सामान वापस जमा करा दिया जायेगा।

8. विभाग द्वारा चाही गई समस्त सूचनाएं स्वयंसेवी संस्था द्वारा समय पर उपलब्ध करवानी होगी।

9. स्वयंसेवी संस्था द्वारा वृद्धाश्रम निरन्तर चलाने के लिए स्वयंसेवी संस्था को प्रत्येक वर्ष औपचारिक रूप से प्रार्थना करनी होगी तथा गत वर्ष के आडिट स्टेटमैन्ट व उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

10. विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्था अपनी इच्छा से योजना संचालन का कार्य किसी अन्य संस्था को स्थानान्तरित नहीं कर सकती है। स्वयंसेवी संस्था यदि योजना संचालन में असमर्थ है तो उन्हें एक माह पूर्व विभाग को सूचित करना होगा तथा अनावर्तक मद में क्रय किये गये सामानों को जिलाधिकारी को जमा कराना होगा।

11. स्वयंसेवी संस्था को अनुदान तब ही स्वीकृत किया जायेगा जब जिलाधिकारी से प्रत्येक निरीक्षण रिपोर्ट के साथ यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो कि वृद्धाश्रम में 50 प्रतिशत वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति के ही लाभ प्राप्त कर रहे है।

12. वृद्धाश्रम योजना के क्रियान्वयन, मोनिटरिंग एवं जिलाधिकारियों को बजट आवटन की कार्यवाही प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

13. **दण्डात्मक कार्यवाही के प्रावधान :**

किसी शिकायत की जॉच करने अथवा निदेशक के आदेश से निरीक्षणकर्ता अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर किसी वृद्धाश्रम के लिए आवंटित धनराशि के दुरूपयोग होने अथवा अन्य कोई अनियमितता पाई जाती है जिसका तथ्य सिद्ध हो जाता है तो ऐसी स्वयंसेवी संस्था की मान्यता रद्ध करने का सकारण लिखित में निदेशक द्वारा आदेश जारी किया जायेगा एवं राशि का गबन भी सिद्ध होता है तो

स्वयंसेवी संस्था से यह राशि वसूल भी की जायेगी। अगर ऐसी स्वयंसेवी संस्था की राशि बकाया है तो उसे जब्त कर लिया जायेगा। साथ ही ऐसी दोषी स्वयंसेवी संस्था को भविष्य में कभी भी समाज कल्याण विभाग की कोई भी योजना संचालित करने का अवसर प्रदान नही किया जावेगा।

14 नियमों में शिथिलता

इन नियमों में किसी भी प्रकार की शिथिलता राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना नहीं दी जायेगी। इन नियमों की व्याख्या निदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी और वही अन्तिम एवं बन्धनकारी माना जायेगा।

विशिष्ठ शासन सचिव 31.3.06

क्रमांकः एफ 13 ( ) ( )वृ.श्र./नियम/सकवि/2005/ 16649-60
जयपुर, दिनांक 31-3-2006

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, समाज कल्याण एवं सहकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त ....
6. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यावास।
7. परियोजना निदेशक (एस.सी.पी.), मुख्यावास।
8. जिला कलक्टर, ...
9. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, ...
10. आदेश पत्रावली।

मूल्यांकन अधिकारी

परिशिष्ठ '1'

राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

वृद्धाश्रम योजना

आवदेन प्रपत्र

1 स्वयंसेवी संस्था का नाम .....

2 स्वयंसेवी संस्था का पूर्ण पता .....

3 स्वयंसेवी संस्था का दूरभाष न0.....

4 क्या संस्था भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम 21) के अन्तर्गत पंजीकृत है .....

5 यदि हॉ तो पंजीयन क्रमांक व दिनांक .....

6 क्या संस्था को वृद्ध कल्याण के क्षैत्र में पर्याप्त अनुभव है। हां/नही

7 यदि हां तो संस्था द्वारा वृद्ध कल्याण के क्षैत्र में किये गये कार्यो के विवरण संलग्न करें।

8 क्या संस्था अन्य गतिविधियां भी संचालित कर रही है। हॉ/ नही

9 यदि हां तो पूर्ण विवरण दें.....

.....

10 क्या संस्था भारत सरकार/राज्य सरकार से किसी अन्य योजना में अनुदान प्राप्त कर रही है। हॉ/ नही

11 यदि हां तो स्वीकृत अनुदान की वर्षवार राशि दें।

12 क्या संस्था विदेशी अनुदान/ स्वदेशी अनुदान प्राप्त कर रही है। हां/नही

13 यदि हो तो तीन वर्ष का विवरण दें।

14 क्या संस्था के पास वृद्धाश्रम संचालन हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध है।

15 यदि हां तो भवन का पूर्ण विवरण संलग्न करें।

अध्यक्ष/सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 13(1)() साणसु0/वृक/सान्याअवि/23–24/81978 जयपुर, दिनांक 4/01/2024

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 19(1) तथा की पालना राजस्थान माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 के नियम 18 की पालना में प्रत्येक जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम की स्थापना की जानी है। राज्य सरकार की वृद्धाश्रम संचालन योजना 2006 के अंतर्गत वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित, पंजीकृत स्वंय सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों के माध्यम से, वृद्धाश्रमों की स्थापना हेतु राज्य के (Gap Districts) जिन जिलों में एक भी वृद्धाश्रम संचालित नहीं उसके लिए प्रस्ताव संबंधित जिला कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं–

क्र.सं.	नाम जिला	क्र.सं.	नाम जिला
1	जयपुर ग्रामीण	11	करौली
2	श्रीगंगानगर	12	केकडी
3	बालोतरा	13	बहरोड–कोटपूतली
4	ब्यावर	14	खैरथल
5	डीडवाना–कुचामन	15	नीमकाथाना
6	दूदू	16	फलौदी
7	सलूंबर	17	सांचौर
8	शाहपुरा	18	जोधपुर ग्रामीण
9	डीग	19	भीलवाडा
10	हनुमानगढ		

नोटः

- उक्त वर्णित जिलों में जिला मुख्यालय पर वृद्धाश्रम प्राथमिकता से खोले जायेगें।
- इनके अतिरिक्त जिन जिलों में वृद्धाश्रम संचालित है, उन जिलों में संबंधित जिला कलक्टर द्वारा अति–आवश्यक एवं सुसंगत/व्यवहार्य (Feasible) होने की अभिशंषा पर निदेशालय की अनुमति के पश्चात् अतिरिक्त वृद्धाश्रम स्वीकृत किये जा सकेगे।
- तहसील मुख्यालय पर संबंधित जिला कलक्टर द्वारा अति–आवश्यक एवं सुसंगत/व्यवहार्य (Feasible) होने की अभिशंषा पर निदेशालय की अनुमति के पश्चात् अतिरिक्त वृद्धाश्रम स्वीकृत किये जा सकेगे।

अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिये निम्न शर्तें होगी:–

1. स्वय सेवी संस्थाएं अपना प्रस्ताव सम्बन्धित जिले के जिला कलक्टर को दिनांक 25 जनवरी, 2024 तक प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर द्वारा गठित कमेटी द्वारा सक्षम/उपयुक्त स्वयं सेवी संस्था का चयन किया जाकर स्वीकृति जारी की जायेगी। प्रथमतः एक जिले में एक वृद्धाश्रम **(25 वृद्ध)** ही जिला मुख्यालय पर स्वीकृत किया जायेगा।
2. चयनित संस्था को वृद्धाश्रम संचालन की अनुमति प्रथमतः एक वर्ष के लिये होगी तथा निरीक्षण दौरान सन्तोषजनक व्यवस्था पाये जाने पर वृद्धाश्रम संचालन निरन्तर रखा जायेगा।
3. चयनित स्वयं सेवी संस्था के स्वीकृति–आदेश जारी करने से पूर्व ट्रस्ट/संस्था को वृद्धाश्रम संचालन नियम, 2006 की बिना किसी शर्त के पालना करने का नॉन ज्यूशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करेगी।
4. स्वयं सेवी संस्था को वृद्धाश्रम संचालन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार अनुदान देय होगा।

विस्तृत विवरण आवेदन का प्रारूप, वृद्धाश्रम संचालन नियम–2006 अथवा अन्य जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट www:http//sje.rajasthan.gov.in एवं जिले के [illegible] में सम्पर्क किया जा सकता है।

Signature valid
Digitally signed by Jagjeet Singh Monga(जगजीत सिंह मोंगा)
Designation: Director
निदेशक एवं शासन सचिव
Date: 2024.01.04 13:28:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
5177683